PIIL:SEC:NSE/BSE:84:2022-23

February 03, 2023

BSE Limited Corporate Relations Deptt. 25th Floor, New Trading Ring Rotunda Building P.J. Towers, Dalal Street, MUMBAI - 400 001 **Code No.523642**	National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Plot No.C/1, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) MUMBAI – 400 051 **Code No. PIIND**

Dear Sir/ Madam,

Sub: Newspaper advertisement for Loss of share certificate

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith the copy of Advertisement published in the following newspaper for issue of duplicate share certificate:

- Pratahkal (Daily newspaper- Hindi Edition), Udaipur on February 03, 2022.

This is for your information and record please.

Yours faithfully,
For PI Industries Limited

SONAL
RAMANAND
TIWARI

Digitally signed by SONAL RAMANAND TIWARI
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=75ed131e8ea35321e70a83b42f37e1f0aff112
771b87384926419fac78dcaf8b, postalCode=411027,
street=SNO.61/2, NISARG ANAND SOCIETY, FLAT
NO.4-504, NEAR RAKSHAK SOCIETY, PIMPLE NILAKH,
AUNDH,
pseudonym=a03a1d1fead3395e7fba512a30d88017,
serialNumber=940ab859eddf3e5508d87b3cfcdb7232
a95e97911685e1c57401a4b9f1b22251, o=Personal,
cn=SONAL RAMANAND TIWARI
Date: 2023.02.03 12:31:25 +05'30'

Sonal Tiwari
Company Secretary

Encl.: As above

सार समाचार

डंपर ने स्कूटर को मारी टक्कर, युवक की मौत

भीलवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। शहर के पंचवटी इलाके में डंपर की टक्कर से स्कूटर सवार युवक की मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। कोतवाली थाने के दीवान चंद्रप्रकाश ने बताया कि हरणीकलां निवासी संपत 37 पुत्र फतेहलाल जाट बुधवार को सोनी हॉस्पीटल की ओर से स्कूटर से आया, जो हरणी कलां की ओर जा रहा था। पंचवटी पुलिया के पास डंपर ने स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में संपत की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद संपत का शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

करंट से किसान की मृत्यु

कपासन (प्रातःकाल संवाददाता)। खेत पर फसल की पिलाई करने किसान की विधुत करंट से मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार कपासन थानांतर्गत रोलिया निवासी मिट्ठूलाल गाडरी पुत्र शंकरलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिताजी शंकरलाल गुरूवार सुबह बोलड़ी वाले कूंए पर फ़सल की पिलाई करने गए। विद्युत मोटर चलाते समय स्टार्टर में करंट लगने से अचेत हो गए । उन्हें चिकित्सालय लेकर आए जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर सहायक पुलिस उपनिरीक्षक नन्दलाल सैनी चिकित्सालय पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है।।

हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर घायल

कानोड़ (प्रातःकाल संवाददाता)। भींडर कानोड सड़क मार्ग पर गुरूवार सायं को एक बाइक व कार की टक्कर में दो लोग गंभीर घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार के नंदराम पुत्र भेरा मीणा उम्र 55 वर्ष व सुरेश पुत्र नंदराम उम्र 30 वर्ष निवासी सरवानिया थाना कानोड़ बाइक से अपने गांव जा रहे थे कि सामने से आई असंतुलित कार ने उन्हें टक्कर मार दी जिससे दोनों ही गंभीर घायल हो गए। दोनों ही घायलों को एंबुलेंस से भींडर चिकित्सालय पहुंचाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर भेज दिया गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार चालक रामलाल रावत निवासी लिकोड़ा, थाना बड़ीसादड़ी को पकड़ लिया जो शराब के नशे में धुत था। राहगीरों ने उसे पकड़कर पुलिस को सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची कानोड़ पुलिस ने कार चालक को अपने कब्जे में लिया । जिसके बाद घटनास्थल डूंगला क्षेत्र का होने की वजह से डूंगला पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार जप्त करते हुए कार्रवाई शुरू की। चश्मदीदों ने बताया कि कार चालक शराब पीता हुआ आ रहा था वही कार में शराब की बोतलें भी पड़ी थी।

पेड़ काटने से रोका तो वनकर्मी पर हमला

डूंगरपुर। सदर थाना क्षेत्र में वन नाका के कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जंगल में सागवान के पेड़ काट रही महिलाओं को रोकने गए वनकर्मी पर एक व्यक्ति ने लाठी से हमला कर दिया। जिसमें वनकर्मी को चोटें आई है। इसको लेकर वनकर्मी ने सदर थाने में राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज करवाया है। वनकर्मी नरसिंह पुत्र नारायण लबाना निवासी बिछीवाड़ा ने बताया कि वह रोजाना की तरह 31 जनवरी की शाम को रामपुर के जंगल में गश्त कर रहे थे। वागदरी के पास जंगल क्षेत्र में कुछ महिलाएं सागवान के हरे पेड़ काट रही थी। इस पर उसने महिलाओं को पेड़ काटने से रोका। इसी दौरान एक महिला का पति पप्पू पुत्र गौतम डामोर निवासी रामपुर वागदरी आया और उसने पीछे से लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लाठी के हमले में उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई। हमले के बाद आरोपी पप्पू पुत्र गोतम डामोर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर साथी कर्मचारियों ने उसको डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया। सदर थाना के एसआई राजेंद्र कुमार ने बताया कि वनकर्मी ने पप्पू डामोर के खिलाफ हमला करने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने का प्रकरण दर्ज कराया है।

वाहन की टक्कर से एक और मादा पैंथर की मौत

भीलवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। वाहन की टक्कर से एक पैंथर की दर्दनाक मौत हो गई। मेनाल के निकट एनएच– 27 पर पैथंर सड़क पार कर रहा था, तभी वाहन की चपेट में आ गया। पिछले 2 महीने में वन्य जीव पैंथर की वाहन की टक्कर से यह दूसरी मौत है। जानकारी के अनुसार पैंथर सड़क पार कर जंगल की तरफ जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर के शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद पौधशाला अम्बा की बावड़ी लाकर उसका तीन पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम करवाया। फिर उसी नर्सरी में अंतिम संस्कार किया। इस टीम में क्षेत्रिय वन अधिकारी दशरथ सिंह पुलिस के एएसआई गोपाल सिंह वन नाका इंचार्ज लोकेंद्र सिंह और रविंद्र सिंह शामिल थे।

UIB
कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
क्रमांक/भू.उ.प./22/601-602 दिनांक : 01/02/2023

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री शकुन्तला कासट पुत्री श्री शंकर लाल कासट द्वारा न्यास की आजाद नगर योजना में भूखण्ड संख्या आई- 183 क्षेत्रफल 322.46 वर्गमीटर का आवासीय से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन वास्ते न्यास कार्यालय में आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का जोनल डवलपमेन्ट प्लान जोन (सी) में मिश्रित भू-उपयोग दर्शा रखा है। आवेदित भूखण्ड का व्यावसायिक उपयोग वारते भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस में न्यास कार्यालय में अपनी आपत्ति मय दस्तावेज के प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सचिव
नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

प्रारूप- 10 (नियम-6(7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द
सं. 3581-3582 दिनांक : 01/02/2023

लोक सूचना

श्री दुर्गाशंकर पिता श्री किशनलाल माली द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात् :-

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1.	राजसमन्द	हवाला	299	रकबा 0.0728 हैक्टेयर में से रकबा 0.0284 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 01/02/2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद राजसमन्द

ओड़ा ब्रिज हादसा : विस्फोटक बेचने वाले की जमानत नामंजूर

उदयपुर. नगर संवाददाता | बहुचर्चित उदयपुर–अहमदाबाद रेलवे ट्रेक के खारवा चांदा से जावर खण्ड के मध्य स्थित ओड़ा ब्रिज पर विस्फोटक लगाकर रेलवे ब्रिज को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले आरोपी की गुरुवार को रेलवे अधिनियम, सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम एवं भादसं की धारा में गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।

प्रकरण के अनुसार गत वर्ष 12 नवम्बर की रात्रि को अज्ञात लोगों ने ओड़ा ब्रिज पर विस्फोटक लगाकर विस्फोट किया था, जिससे पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के कुछ देर पहले ही इस ब्रिज से अहमदाबाद के लिए ट्रेन निकली थी। दूसरे दिन लोगों ने देखा तो इस बारे में तत्काल रेल्वे के अधिकारियों को बताया। मौके पर पुलिस, प्रशासन और अन्य सुरक्षा ऐजेन्सियां पहुंची और मौका–मुआयना किया तो सामने आया कि ब्रिज का गडर टूट गया है और उसके कई हिस्से बिखर गये है, यहां तक चैनल स्लीपर व मुख्य ब्रिज के अन्य गडर भी क्षतिग्रस्त हुए है।

मौके पर फ्यूज वायर, डिटोनेटर और जिलेटीन की छड़े मिली है। इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए एटीएस ने प्रवीण मीणा व धूलचंद मीणा को गिरफ्तार किया और मामले में लिप्त एक अपचारी बालक को डिटेन किया। पूछताछ में इन आरोपियों ने बताया कि पुल को उड़ाने के लिए विस्फोटक बिहारीलाल सुहालका व उसके पुत्र अंकुश सुहालका से लाए है। इस पर इन आरोपियों के मकान पर दबिश दी तो वहां पर भी भारी मात्रा में गुल्ले, डिटोनेटर, फ्यूज वायर, कोर्डेक्स वायर बरामद किये।

जांच में यह भी सामने आया कि यह सभी विस्फोटक सामग्री लाइसेंस शुदा मैग्जीन संचालक पार्टनरशिप डीड के आधार पर संचालित करने वाले न्यू नवरत्न कॉम्पलेक्स निवासी सुरेश पुत्र नवीनचंद उपाध्याय के यहां से अशोक मीणा, भरतराज सेन एवं अक्षय सेन लेकर आये है।

मैग्जीन मैसर्स इंटरप्राइजेज के ऑनलाईन रिकार्ड में सुरेश उपाध्याय है तथा मैग्जीन में मावली के देवेन्द्र कुमार पुत्र उदयलाल डांगी है। देवेन्द्र ने लोकेश सोनी व उसके पुत्र अमित के जरिये यह विस्फोटक सामग्री आगे सप्लाई की थी। इस मामले में जमानत पर चल रहे आरोपी सुरेश उपाध्याय की एटीएस ने जमानत याचिका खारिज करने के लिए गत 25 जनवरी को एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक कपिल टोडावत के जरिये प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर आरोपी सुरेश सहित अन्य जो जमानत पर चल रहे थे उन सभी को पुन: गिरफ्तार कर लिया।

आतंकवादी मामले से जुड़े इस मुद्दे में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे विस्फोटक सामग्री बेचने वाले सुरेश उपाध्याय की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक कपिल टोडावत ने तर्क दिया कि आरोपियों ने रेलवे सम्पत्ति को राजकीय नुकसान पहुंचाया है और ऐसे गंभीर अपराध में उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा ने आरोपी सुरेश उपाध्याय की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।

बाल विवाह जागरूकता ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित

राजसमंद। श्रीमती कस्तूरीबाई-हजारीलाल जाट राउमावि लोढ़ीयाना में आयोजित बाल विवाह जागरूकता ओपन हाउस कार्यक्रम को सम्बोधित करते वक्त। एवं मौजूद विद्यार्थी।

राजसमंद (प्रातःकाल संवाददाता)। श्रीमती कस्तूरीबाई–हजारीलाल जाट राउमावि लोढ़ीयाना में गुरूवार को जतन संस्थान द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन परियोजना, बाल अधिकारिता विभाग तथा बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह जागरूकता ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कोमल पालीवाल तथा बाल अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक वीणा मेहरचंदानी थे। जबकि अध्यक्षता कार्यवाहक संस्था प्रधान कांता गाडरी ने की।

कार्यक्रम के दौरान कोमल पालीवाल ने बताया कि बाल विवाह स्वस्थ समाज के माथे पर कलंक के समान है। हम सभी को इस कुरीति के विरूद्ध अपने व्यक्तिगत प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को अपने कैरियर पर ध्यान देते हुए समाज को बाल विवाह जैसी कुरीति के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा युवाओं और विद्यार्थियों को आगे आकर समाज में होने वाले बाल विवाह को रूकवाने का प्रयास करना चाहिए या फिर हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। वीना मेहरचंदानी ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान किया तथा बाल विवाह के प्रति जागरूक किया। चाइल्डलाइन टीम मेंबर गहरीलाल, अनीता ने चाइल्ड लाइन के बारे में जानकारी प्रदान की। अंत में विद्यार्थियों को बाल विवाह के विरूद्ध शपथ दिलवाई गई। इस दौरान सरपंच हीरा लाल सालवी सहित विद्यार्थी व ग्रामीण मौजूद थे। आभार वरिष्ठ अध्यापक मदन लाल कुकर ने व्यक्त किया तथा संयोजन वरिष्ठ अध्यापक दिनेश कुमार सालवी ने किया।

ब्राह्मण समाज पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले के विरूद्ध कार्रवाई की मांग, दिया ज्ञापन

छोटीसादड़ी (प्रातःकाल संवाददाता)। परशुराम संगठन एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में बेणेश्वरधाम में ब्राह्मण समाज के विरूद्ध अमर्यादित टिप्पणी करने वाले शिक्षक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा को ज्ञापन दीया। ज्ञापन में बताया कि अध्यापक दिनेश मीणा सरकार के शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। जो जातिवाद की राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित होकर वामपंथी विचारधारा के राजनैतिक दल बीटीपी का सक्रिय सदस्य है। अध्यापक द्वारा बैणेश्वर धाम पर ब्राह्मणो एवं पुजारियों को अभद्र भाषा हो जातिगत गालियां दी। तथा पूजा कर रहे लोगो कि पूजन सामग्री फेक दी। तथा पूजा कार्य कर रहे ब्राह्मणों को धमकाते हुऐ अपमानित किया। आक्रोशित लोगों ने इस घटना को पुजारियों और ब्राह्मणों का अपमान बताते हुए , ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस अवसर पर परशुराम संगठन के जिला अध्यक्ष योगेंद्र कुमार औदिच्य राजस्थान ब्राहमण महासभा के तहसील अध्यक्ष गोपाल लाल शर्मा, उपाध्यक्ष रमेश चंद्र उपाध्याय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार औदिच्य ,सचिव हेमंत जोशी ,कोषाध्यक्ष प्रदीप व्यास, स सचिव प्रहलादराय शर्मा ,बरखेड़ा ग्राम अध्यक्ष कैलाश चंद तिवारी, महेश गौतम जोधपुरा समाज के पूर्व अध्यक्ष जमना लाल शर्मा छोटू लाल शर्मा आदि मौजूद थे।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना में दी 2 लाख की राशि

बांसवाड़ा। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम में जब मृतक के परिजनों को बीमा राशि का दो लाख रूपये का चैक दिया गया तो 68 से अधिक लोगों ने प्रधानमंत्री जीवन व सुरक्षा बीमा योजना में बीमा करवाया। गांव जलदा में आयोजित वित्तीय साक्षरता चौपाल में काली देवी पत्नी लाला डामोर की सर्प दंश से मृत्यु हुई थी उनके नॉमिनी वीरेंद्र को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख की बीमा राशि दी गई। इस अवसर पर बागीदौरा प्रधान सुभाष खराड़ी, सरपंच नानुलाल डामोर, बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छाजा से विक्रम सिंह, एसबीआई से रवि झा, राजीविका से सीएफएल मैनेजर इन्दिरा कटारा, मनिवाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र बागीदौरा से नवीन बरजोड़, ललिता खराड़ी, मगनलाल, दीपक जोशी, वार्ड पंच धुलाचंद एवं ग्रामीण मौजूद रहे। चौपाल में 150 से ज्यादा ग्रामीण मौजूद रहे।

विकास अधिकारी धरियावद ने किया केसरपुरा विद्यालय का निरीक्षण

धरियावद (प्रातःकाल संवाददाता)। धरियावद विकास अधिकारी बीएल यादव ने गुरूवार को क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरपुरा का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क स्कूल यूनिफॉर्म की संपूर्ण जानकारी एवं अभिलेख को देखा साथ ही विद्यालय में अध्यनरत समस्त बालकों के मुख्यमंत्री निशुल्क ड्रेस वितरण की जानकारी लेते हुए बच्चों की ड्रेस को देखा। साथ ही जिन बालकों को पोशाक सिलाई के रूपए नहीं मिले हैं उनको शीघ्र दिलवाने के लिए संस्था प्रधान को निर्देश दिए। वही साथ ही मुख्यमंत्री निशुल्क पोशाक वितरण के अभिलेख अवलोकन के दौरान जिन बालकों को ड्रेस सिलाई के रूपए नहीं मिले हैं उनकी समस्त प्रकार की पुर्तियां करते हुए शीघ्रता से पोशाक सिलाई दिलवाने के लिए भी उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विकास अधिकारी यादव ने विद्यालय के संस्था प्रधान पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के साथ विद्यालय की कक्षाओं का अवलोकन किया।

आम आदमी पार्टी के सदस्य अभियान को लेकर प्रशिक्षण बैठक

धरियावद (प्रातःकाल संवाददाता)। आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी की बैठक नगर के खेड़ापति हनुमान मंदिर पर आयोजित हुई जिसमे आप पार्टी की सदस्यता से जुड़े कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया गया। आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी कालूलाल मीणा के अनुसार राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के निर्देशों पर आयोजित प्रशिक्षण के आधार पर धरियावद विधानसभा में 1 से 15 फरवरी तक चलने वाले सदस्यता अभियान के तहत पार्टी आमजन जनता के बीच जाकर अपना अभियान पूरा करेगी अभियान के जरिए आप पार्टी आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिल सके। सदस्यता अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम मे पार्टी कार्यकर्ता पूर्व सरपंच गौतम लाल, वर्दीचन्द मीणा, बिलाड़िया भेरूलाल, गौतम लाल, पिंटू भाई रायपुर, विजय, विमल, भेरूलाल चारणीय, प्रभुलाल, शांतिलाल भगवान लाल, किशन लाल, हीराबाई, शंकरलाल, भगवती आदि कार्यकर्ता मौजूद थे।

धर्म बहन के मायरा लेकर गये व्यक्ति को धक्का देकर खाने की पंगत से उठाया

जातिगत अपमानित, बहिष्कृत की दी धमकी

भीलवाड़ा (प्रातःकाल संवाददाता)। धर्म बहन के यहां शादी में मायरा लेकर गये नायक जाति के एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने न केवल खाने की पंगत से धक्के देकर उठा दिया, बल्कि जातिगत अपमानित कर गांव से बहिष्कृत करने की धमकी भी दी। इस घटना को लेकर पीड़ित ने बीगोद थाने में केस दर्ज करवाया है। बीगोद पुलिस के अनुसार, बीगोद निवासी देबीलाल पुत्र मथुरालाल नायक ने रिपोर्ट दी कि 31 जनवरी 2023 को पोखर गुर्जर निवासी बिगोद के लड़का–लड़की का विवाह होने से कृष्णा रिसोर्ट, नंदराय रोड में भोजन का आयोजन था। पोखर की पत्नी भेभा, परिवादी की धर्म–बहिन होने से पोखर व उनकी पत्नी ने परिवादी व परिवारजन के सदस्यो को भोजन करने रिसोर्ट बुलाया। देबीलाल, अपनी धर्म बहिन भेभा के मायरा लेकर गया। कपड़ों की रस्म अदायगी के बाद दिन में करीब 1.30 बजे परिवादी देबीलाल रिसोर्ट मे पंगत में खाना खाने अन्य लोगों के साथ बैठकर खाना खाने लगा ही था कि मोहन पुत्र नारायण गुर्जर, गोपाल पुत्र नारायण गुर्जर निवासी बीगोद वहां आये और देबीलाल को जातिगत अपमानित कर खाने की पंगत से धक्का देकर उठा दिया। हाथापाई कर मारपीट की। धक्का देकर उसे रिसोर्ट से बाहर निकाल दिया और गांव से बहिष्कृत कराने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

भानुजा ग्राम सेवा सहकारी समिति 1 वर्ष का वित्तीय बजट पारित

बड़ीसादड़ी (प्रातःकाल संवाददाता)। गुरूवार को भानुजा ग्राम सेवा सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा अध्यक्ष देवीलाल जनवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2021 –22 की के वार्षिक लिखें सदस्यों के सामने पेश किए गए जिसमें संस्था द्वारा वर्ष 2021– 22 में 1200000 5670 शुद्ध लाभ संस्था द्वारा अर्जित किया गया। आम सभा में संस्था का 2022 –23 का बजट अनुमोदन किया गया। नया ऑफिस निर्माण का निर्णय लिया व सुपर मार्केट खोलने पर विचार किया गया। संस्था की 2022– 23 के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। संस्था द्वारा सदस्यों को 7 प्रतिशत लाभांश वितरण का निर्णय लिया गया।

सभी सदस्यों ने अवधि पर वसूली पर विचार किया गया। आम सभा की उपाध्यक्ष राम सिंह राठौड़, पूर्व उपाध्यक्ष इंदर सिंह झाला पूर्व सरपंच कालूराम मीणा संचालक सदस्य गोपाल सेन माधुपुरी गोस्वामी वंदना सेन निर्मला कुमार जमुना लाल गोपाल मांगीलाल जणवा नानू पुरी गोस्वामी ओम प्रकाश सेन बद्री लाल मेघवाल सहित व्यवस्थापक जगदीश गुर्जर मुकेश पुरी सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक | Punjab & Sind Bank
अंचल कार्यालय: जयपुर 30-31, मोहन टॉवर, प्रिंस रोड विद्युत नगर, अजमेर रोड, जयपुर -302021
फोन नंबर: 0141-2358350,2358628

परिसर चाहिए
नाथद्वारा, राजसमंद (राजस्थान)

बैंक, नाथद्वारा, राजसमंद (राजस्थान) में शाखा कार्यालय के लिए, भूतल पर 1000-1200 वर्गफीट के कारपेट क्षेत्र के लिए, कम से कम 15 वर्ष (लीज) की अवधि के लिए पट्टे के आधार पर या एकमुश्त खरीद के आधार पर, दो बोली प्रणाली (तकनीकी व वित्तय) के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिये हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर देखे ।
आँचलिक कार्यालय जयपुर

कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द
जिला राजसमन्द
क्रमांक : न.प.रा/2022-23/3224
दिनांक : 18/01/2023

आपत्ति सूचना पत्र

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री मुस्ताक हुसैन पिता श्री अब्बास अली बोहरा व अन्य नि. कांकरोली राजस्व ग्राम हवाला के खसरा नं. 76 में जारी पट्टा सं. 96/93 दिनांक 20.04.1993 को भूखण्ड क्षेत्रफल 224.44 वर्गगज का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करवाना चाहते है उक्त भू-उपयोग परिवर्तन करने में कोई आपत्ती हो तो 15 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे बाद मियाद कोई आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त
नगर परिषद राजसमंद

प्रारूप- 10 (नियम-6(7) देखिए)
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद राजसमन्द
सं. 3618 दिनांक : 01/02/2023

लोक सूचना

श्री भीमा भील पिता श्री सुडा भील निवासी खटामला तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :

क्र.सं.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1.	राजसमन्द	मोरचना	869/371 878/309 881/310 311 312 313 314 315 332	रकबा 0.0373 हैक्टेयर, रकबा 0.0270 हैक्टेयर, रकबा 0.0116 हैक्टेयर, रकबा 0.0243 हैक्टेयर, रकबा 0.0324 हैक्टेयर, रकबा 0.0324 हैक्टेयर, रकबा 0.1133 हैक्टेयर, रकबा 0.0243 हैक्टेयर, रकबा 0.0243 हैक्टयर,

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 01/02/2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद राजसमन्द

पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
Inspired by Science
सीआईएन : L24211RJ1946PLC000469
पंजीकृत कार्यालय : उदयसागर रोड, उदयपुर–313 001 (राज.)
फोन : 0294-2492451-55, फैक्स: 2491946
ई–मेल : investor@piind.com, वेबसाइट : www.piindustries.com

शेयर सर्टिफिकेट्स खोने की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के गुम/खोने की सूचना शेयरधारक(कों) द्वारा दी गई है, जिन्होंने डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन किया है :

क्र. सं.	पंजीकृत शेयरधारक का नाम/फोलियो सं.	सर्टि. सं.	विशिष्ट संख्या		इक्विटी शेयरों की संख्या
			से	तक	
1.	श्री एम. एल. पामेचा श्री विजय सिंह पामेचा के साथ संयुक्त रूप से (फोलियो सं. M000000447)	103796	134608326	134608985	660 इक्विटी शेयर 1/- रुपये प्रति

यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयर सर्टिफिकेट्स के सम्बन्ध में कोई दावा है/हैं, तो वह अपने दावे से संबंधित सभी दस्तावेज़ों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांस्फर एजेंट, मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड (यूनिटः पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड), सेलेनियम बिल्डिंग टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाईनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना–500032 (ईमेल आईडीः shivakumar.n@kfintech.com) में प्रेषित करें। यदि इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के अन्दर कोई विधिमान्य और वैध दावा प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्ति को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स जारी करने के लिए कार्यवाही करेगी और अन्य किसी व्यक्ति(यों) के किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

पीआई इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
हस्ता/–
सोनल तिवारी
कंपनी सचिव

स्थानः गुरुग्राम
दिनांकः 02.02.2023